कालधन का सच

अखिरकार स्विस बैंक में जमा भारतीय नागरिकों के कालेधन की जानकारी साझा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेशी बैंकों में खाता खोल कर गैरकानूनी तरीके से धन जमा कराने वालों के नामों का पता लगाने और वह धन वापस भारत लाने की मांग उठती रही है। इसे लेकर बाबा रामदेव ने व्यापक आंदोलन भी चलाया था। भाजपा ने भी पिछले लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने का मुद्दा उठाया था। मगर अभी तक इस दिशा में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब स्विट्जरलैंड और भारत के बीच हुए समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच बैंक सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया इस महीने से शुरू हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इसे अहम कामयाबी बताया है। हालांकि स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के खातों की जानकारी हासिल करने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था, पर इस बैंक के नियमों के मुताबिक इसके खाताधारकों के बारे में जानकारी साझा नहीं की जा सकती। यहां तक कि वहां की सरकार भी उस पर ऐसा करने का दबाव नहीं डाल सकती थी। पर स्विट्जरलैंड सरकार ने कालेधन के मुद्दे को गंभीर मानते हुए नियमों में बदलाव कर बैंक सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया का रास्ता खोल दिया।

दरअसल, स्विट्जरलैंड सहित कई देशों के बैंकों में खाता खोलना बहुत आसान है। किसी भी देश का कोई भी नागरिक आनलाइन अपना खाता खोल सकता है। ये बैंक अपने ग्राहकों के नाम-पते वगैरह को गोपनीय रखते हैं। वहां की सरकारों ने ही इन बैंकों को यह स्वायत्तता दी है। इसलिए दुनिया के तमाम देशों के ऐसे लोगों के लिए ये बैंक अपना कालाधान छिपाने के सबसे मुफीद ठिकाने बनते गए। इन बैंकों का कारोबार भी इसी तरह के धन से चलता है। भारत के भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं और कारोबारियों आदि के लिए भी ये बैंक एक प्रकार से सुरक्षित तिजोरी साबित होते रहे हैं। यह छिपी बात नहीं है कि भारत अन्य मामलों में भले निचले पायदान पर रहता आया हो, पर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ अव्वल देशों में शुमार है। रिश्वत और कर चोरी करके जमा काले धन को लोग स्विस बैंक जैसे विदेशी बैंकों में जमा कराते रहे हैं। स्विस बैंक में जमा कुल धन का 0.07 फीसद पैसा अकेले भारतीय नागरिकों का है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे विदेशी बैंकों में कितना भारतीय काला धन जमा होगा।

हालांकि स्विस बैंक इससे पहले भी सौ भारतीय नागरिकों की पहचान साझा कर चुका है, जिनके स्विस बैंक में खाते हैं। अब इस बैंक के सभी भारतीय खाता धारकों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जिन लोगों ने पिछले साल अपने बैंक खाते बंद करा दिए, उनके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। लंबे समय से इस पर परदा पड़ा हुआ था, अब वह उठ जाएगा। मगर अभी सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि स्विस बैंक में जमा काले धन को वापस कैसे लाया जाए। स्विट्जरलैंड सरकार बैंकों पर शायद ही दबाव बनाए कि वे भारतीय नागरिकों के पैसे भारत सरकार को सौंप दें। फिर भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्विस बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आधार तो बनेगा। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगाने को प्रतिबद्ध है, इसलिए कर चोरी और रिश्वत आदि से जमा धन विदेश भेजने वालों पर कड़े कदम उठाने की उम्मीद स्वाभाविक है।

नागरिकता पर सवाल

असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की आखिरी सूची भले जारी हो गई हो, लेकिन नागरिकता संबंधी विवादों का मूल वहीं का वहीं है। अब भी लाखों लोगों के सामने यह सवाल है कि वे भारत के नागरिक हैं या नहीं। इसलिए बुनियादी सवाल यही बना हुआ है कि इस अंतिम सूची में जो उन्नीस लाख लोग अब छूट गए हैं, क्या वे विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं या भारतीय नागरिक नहीं हैं ? जब तक वे विदेशी पंचाट के समक्ष अपने भारतीय नागरिक होने के दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर देते तब तक उनकी स्थिति क्या होगी ? पिछले साल जुलाई में जब एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी हुआ था तो उसमें से चालीस लाख से ज्यादा लोगों के नाम गायब थे। यानी साल भर में करीब बीस लाख और लोगों को एनआरसी में शामिल कर उन पर से विदेशी होने का कलंक मिटाया गया। दरअसल, जिस तरह से एनआरसी बनाने और उसे अद्यतन करने का काम हुआ है उसमें व्यावहारिक तौर पर यह संभव ही नहीं है कि सही मायने में किसी घुसपैठिए की पहचान की जा सके। इसीलिए अंतिम सूची के जारी होते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई। आसू से लेकर सारे दल और कई संगठनों ने इसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

असम के लिए यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। यह राज्य भारत की आजादी के बाद से ही घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा है। इसीलिए 1951 में पहली बार राज्य में एनआरसी की शुरुआत की गई थी, ताकि बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) से आने वाले घुसपैठियों का पता लगा कर वापस उनके देश के हवाले किया जा सके। हालात तब बिगड़े जब बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए सातवें दशक के आखिर में असम में हिंसक आंदोलन शुरू हुआ और असम समझौते के बाद बंद हुआ। तभी यह तय हुआ था कि 1971 के बाद असम में आने वाले को बाहरी, विदेशी माना जाएगा। लेकिन एनआरसी की लंबी-चौड़ी कवायद बता रही है कि ऐसी सूचियों से यह फैसला हो पाना मुमिकन नहीं है कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं। हालांकि सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन उन्नीस लाख लोगों के नाम इस सूची में नहीं हैं वे विदेशी नहीं माने जाएंगे, उन्हें एक सौ बीस दिन के भीतर विदेशी पंचाट के समक्ष पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

एनआरसी पर जैसी त्रुटियां आई हैं, उससे साफ है कि इसे बनाने में भारी लापरवाही तो हुई ही है, साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी इसे प्रभावित करने की कोशिशें होती रही हैं। एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के नाम सूची में हैं तो कुछ के नहीं। इनमें ज्यादातर लोग तो वे हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और वंचित तबके से हैं और इन्हें नागरिकता के दस्तावेजों की जानकारी तक नहीं है। इन्हें ही हिरासत केंद्रों में रखा गया है। इसलिए ऐसे लोगों में खौफ पैदा होना स्वाभाविक है। सवाल है कि अगर घुसपैठियों का पता लग भी जाता है तो उन्हें कैसे उनके देश भेजा जाएगा। ऐसे में एनआरसी जैसी कवायद पर सवाल क्यों नहीं खडे होंगे!

कल्पमेधा

जो शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है, वह अपने शत्रु पर अपूर्ण विजय ही प्राप्त कर पाता है। -मिल्टन

श्रम सुधारों की दशा और दिशा

जयंतीलाल भंडारी

अब श्रम कानूनों में लचीलापन लाने और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए श्रम नियमों को सरलतापूर्वक लागू करना होगा, नए कानूनों की भरमार कम करनी होगी, ऐसी नीतियां और कार्यक्रम लागू करने होंगे जिनसे उत्पादन बढ़े और उपयुक्त सुरक्षा ढांचे के साथ श्रमिकों का भी भला हो।

उचारकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर पचास करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह विधेयक सरकार को श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने में मदद करेगा। साथ ही, इससे कर्मचारियों को वेतन भगतान में मदद मिलेगी। वेतन संहिता में चार श्रम कानुनों, न्यूनतम वेतन कानून, वेतन भूगतान कानून, बोनस भुगतान कानून और समान भत्ता कानून को समाहित किया है। सरकार ने न्यूनतम वेतन का विस्तार देश के पूरे श्रमबल तक किया है और नियोक्ताओं को ठेके पर श्रमिक रखने के लिए कई कई के लाइसेंस लेने की जरूरत भी खत्म कर दी है। इस समय राज्यों को न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार है और देश में दो हजार से ज्यादा तरीके के वेतन-स्तर हैं, इसलिए नए कानून से देशभर में न्यूनतम वेतन का नया तरीका लाभकारी होगा।

नए कानून में यह भी प्रावधान है कि नौकरी छोड़ने या नौकरी से हटाए जाने या कंपनी के बंद होने की स्थिति में कंपनी को दो दिन के अंदर बकाया वेतन का भुगतान करना होगा। नए कानून में एक सौ अठहत्तर रुपए न्यूनतम दैनिक वेतन सुनिश्चित किया गया है। जिन राज्यों में इससे ज्यादा की व्यवस्था है, वहां श्रमिकों को ज्यादा वेतन देने की व्यवस्था जारी रहेगी। इस प्रावधान से मजदूरों का शोषण रुकेगा, क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में दैनिक मजदूरी पचास, साठ और सौ रुपए पर ही अटकी पड़ी है।

इन दिनों न सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों और अगले पांच वर्षों में उसे पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने के मद्देनजर भारत की नई श्रम संहिता पर टिकी हैं। इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार चवालीस श्रम कानूनों को मिला कर चार श्रम संहिताएं बनाएगी। ये

संहिताएं न्यूनतम वेतन और कार्यगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों पर केंद्रित होंगी।

श्रम और औद्योगिक कानूनों की संख्या के मामले में हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। देश में ढेरों श्रम कानून लागू हैं। केंद्र सरकार के पास श्रम से संबंधित चवालीस और राज्य सरकारों के पास सौ से अधिक कानून हैं। देश में कारोबार के रास्ते में कई कानून ऐसे भी लागू हैं जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डेढ़-दो सौ साल पहले बनाए गए थे। कई वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि श्रम कानून भी उत्पादकता वृद्धि में बाधक बने हुए हैं। उच्चतम न्यायालय भी कई बार अप्रासंगिक हो चुके ऐसे कानूनों की कमियां गिनाता रहा है जो काम को कठिन

और लंबी अवधि का बनाते हैं। दुनिया के आर्थिक और श्रम संगठन बार-बार यह कहते रहे हैं कि श्रम सुधारों से ही नए भारत का निर्माण हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए श्रम सुधार करना काफी जरूरी है। देश के श्रम कानून लंबे समय से लाइसेंस राज की विरासत को ढो रहे हैं। वस्तुतः जो श्रम सुधार नए दौर में आर्थिक व औद्योगिक विकास की मांग है, उसके लिए देश की नई चार श्रम संहिताओं से नई राह बनी है। ऐसे सुधारों से आर्थिक विकास और रोजगार के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। निसंदेह श्रमिक हितों का संरक्षण जितना महत्त्वपूर्ण है, उससे ज्यादा जरूरी निवेश के लिए

अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। भारत में विदेशी निवेश और कारोबार संबंधी अनुकूल ठोस कदमों की कमी बनी हुई है। विश्व व्यापार के संदर्भ में आई इकॉनोमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट (ईआइयू) की रिपोर्ट में विकासशील और विकसित देशों में व्यापार करने या उद्योग लगाने के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल माहौल की चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को छियालीसवां स्थान दिया गया है। जबकि चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको और थाईलैंड की रैकिंग भारत से काफी ऊपर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी और जटिल है और श्रम सुधारों की गति मंद है।

अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती के कारण भारत में भी पिछले एक साल से आर्थिक सुस्ती का जो दौर चल रहा है, उसमें श्रम सुधारों से तेजी लाई जा सकती है और इसका देश की



पड़ेगा। स्थिति यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने वर्ष 2019-20 के लिए विकास दर का अनुमान घटा कर 6.9 फीसद कर दिया है। रेंटिंग एजंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान 7.2 फीसद से घटा कर सात फीसद कर दिया है। अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि श्रम सुधारों से निर्यात को गति दी जा सकती है। भारत के मुकाबले कई छोटे-छोटे देश मसलन बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों ने अपने यहां निर्यातकों को एक ओर श्रम सुधारों का उपहार दिया, तो दूसरी ओर ढेरों सुविधाएं भी हैं। इससे इन देशों ने भारतीय निर्यातकों के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर

दी है। छोटे-छोटे देश श्रम सुधार करके तेजी से निर्यात बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार का नया श्रम सुधार अभियान निर्यात वृद्धि में सहायक साबित होगा।

अब श्रम कानूनों में लचीलापन लाने और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए श्रम नियमों को सरलतापूर्वक लागू करना होगा, नए कानूनों की भरमार कम करनी होगी और ऐसी नीतियां और कार्यक्रम लागू करने होंगे जिनसे उत्पादन बढ़े और उपयुक्त सुरक्षा ढांचे के साथ श्रमिकों का भी भला हो। श्रम कानूनों में नए बदलाव का मतलब श्रमिकों का संरक्षण समाप्त करना नहीं है, वरन इससे उद्योग-कारोबार में तेजी आएगी और उद्योगों में नए श्रम अवसर निर्मित होंगे। उद्योग जगत को भी यह समझना होगा कि वह श्रमिकों को खुश रख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। सरकार को अधिकतम प्रयास करना होगा कि श्रम संगठन और उद्योग संगठन श्रम और पूंजी

के हितों में तालमेल बनाने के लिए खुले मन से संवाद करें। ऐसा होने पर ही सरकार श्रम एवं पूंजी के बीच संतुलन बनाने की कठिन चुनौती का समाधान निकल सकेगा।

इस समय जब देश श्रम सुधारों के रास्ते पर बढ़ रहा है, तब औद्योगिक एवं श्रम संगठनों के विचार मंथन को ध्यान में रखा जाना होगा। यह संतोषप्रद है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाली कमेटी में मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना सुनिश्चित किया है। देश के प्रमुख श्रम संगठनों ने जहां वेतन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता को लाभप्रद बताया है, वहीं इन संगठनों ने औद्योगिक संबंधों से जुड़ी संहिता पर आपत्ति भी है। कहा गया है कि श्रम संगठनों के पदाधिकारियों के लिए पात्रता सरकार द्वारा तय किए जाने, हड़ताल करने का

अधिकार सीमित करने, कर्मचारियों को एकतरफा तौर पर निकालने और एप्रेंटिस श्रमिकों को अलग करने जैसे प्रावधानों से श्रमिकों के हितों पर प्रतिकल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में श्रमिकों की संतुष्टि के मद्देनजर सरकार को सभी संहिताओं में यथासंभव सधार करके ही उन्हें कानून की शक्ल देनी चाहिए।

उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में तेजी से आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए चार श्रम संहिताएं देश के श्रम क्षेत्र को नया रूप देंगी। इससे देश उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, रोजगार वृद्धि और विकास दर के ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ेगा और भारत वैश्विक उद्योग-कारोबार के क्षितिज पर भी अपनी नई पहचान बनाने में कामयाब हो सकेगा।

ऐसी बानी बोलिए

घनश्याम कुमार देवांश

🅦 क्त कवि कबीर ने एक दोहे में लिखा था-'ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय/ औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय'। इसका अर्थ यह है कि हमें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो हमें भी अच्छी लगे और दूसरों को भी। लेकिन आज हम अपने आसपास जितने भी लोगों से मिलते-जुलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसमें क्या हमें इस दोहे के करीब का भी आशय महसूस होता है? सच यह है कि आजकल हम अपने चारों तरफ जो इतनी अशांति, उत्तेजना, तनाव और मारपीट देखते हैं, उसके पीछे प्रमुख कारण है लोगों में धैर्य का न होना। यह अधैर्य सबसे ज्यादा उनकी जुबान में साफ झलकता है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि मामूली-सी बात पर लोग कई बार अपना आपा खो देते हैं और गुस्सा होकर दूसरे पक्ष के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि लोग आपस में मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। अनेक बार ऐसे मामलों में लोग गंभीर चोटों के शिकार हो

जाते हैं और कुछ मामलों में तो लोगों की जान तक चली गई। कुछ समय पहले मैं अपने एक सज्जन मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था। सड़क पर बहुत भीड़ थी। मित्र की गलती से मोटरसाइकिल हमसे आगे चल रही एक कार में छू गई, जो आगे चलते हुए अचानक ही धीमी हो गई थी।

इसके बाद कार में सवार व्यक्ति ने गाड़ी रोक दी, फिर गुस्से में बाहर निकला और हमारी तरफ

बढ़ा। मित्र ने धीरज नहीं खोया दुनिया मेरे आगे और बेहद शालीनता से मुस्कराते हुए कहा- 'मैं माफी चाहता हूं।' कार में से गुस्से में उतर कर हमारे पास तैश में आया वह व्यक्ति मित्र के इस व्यवहार से अचानक ही एकदम शांत हो गया और वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने मित्र से पूछा कि गलती तुम्हारी तो नहीं थी, उसने गलत ढंग से ब्रेक का इस्तेमाल अचानक किया था... फिर तुमने उससे माफी क्यों मांगी? मित्र ने कहा कि वह समय लड़ने-झगड़ने का नहीं... परिस्थिति को समझदारी और ठंडे दिमाग से सुलझा लेने का था। मुझे मित्र की बात अच्छी लगी। अगर कोई और उस जगह होता और उस व्यक्ति से सही या गलत होने पर बहस करता तो अच्छा-खासा झगडा सडक पर हो

सकता था, शायद मारपीट भी हो सकती थी।

दरअसल, आजकल हमारी बोलचाल की भाषा इतनी सुखी हो गई है कि उसमें एक दूसरे के लिए न तो प्यार बचा है और न ही सम्मान। हम लगातार एक बिना सहानुभूति वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं और ऐसा करते हुए हमारा बर्ताव कब संवेदनहीन हो जाता है, हमें ख़ुद भी पता नहीं लगता। इस रवैए की वजह से अब हमें एक दूसरे को समझने और एक दूसरे से जुड़ पाने में अच्छी-

खासी दिक्कत होने लगी है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि एक ही जगह पर काम करने वाले लोग एक दूसरे का अभिवादन करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की तरफ मुस्कराकर देखते भी नहीं है। अगर कोई अपने सहयोगी का अभिवादन करता भी है तो उसे उचित उत्तर नहीं मिलता। आसपास बैठने और काम करने के बावजूद एक दूसरे के बीच इस

तरह की दूरी कैसे पलने लगती है?

जाहिर है, लोगों के बीच मानवीय रिश्ते सुखते जा रहे हैं। हमारे भीतर सहानुभूति का पानी सूख चुका है। आज लोगों को एक दूसरे के दुख-दर्द और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। सड़क पर घायल पड़े किसी जीव-जंतु की तो बात ही क्या,

किसी हादसे में जख्मी इंसान को भी छोड़ कर हम आगे निकल जाते हैं। हमारे समाज में आज जितनी गरीबी और शोषण दिखाई दे रहा है, उसे देख कर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति बेचैन हो जाए। अलग-अलग जातियां, धर्म, संप्रदाय आदि में लोग न केवल बंटे हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए बहुत नफरत भी रखते नजर आते हैं। वे एक दूसरे को लेकर हमेशा डरे रहते हैं।

इस सबसे हमारा समाज टूट कर बिखरता जा रहा है। राजनीति ने इस माहौल को और खराब कर दिया है। अलग-अलग राजनीतिक दल इस सामाजिक बिखराव का फायदा उठा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल किसी अल्पसंख्यक समुदाय का भला करने का दावा करता है तो कोई दूसरा आकर किसी अन्य धर्म के उद्धार का ठेका उठाने की घोषणा करता है। कोई दल किसी खास समुदाय का हितैषी बनता नजर आता है तो कोई अन्य समुदायों के लोगों का भला करने के नाम पर राजनीति कर रहा है। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच इंसानियत कहीं खो गई लगती है। ऐसा लगता है कि सब अपने अपने हितों को बचाने में लगे हैं। दूसरे पीड़ित वर्गों का किसी को कोई ध्यान नहीं है। इस स्वकेंद्रित जीवन की राह का मंजिल क्या होगा?

अमेजन की आग

चिनया की प्राणवायु माने जाने वाले अमेजन के **उ**जंगल आज जल रहे हैं। दुनिया की करीब बीस फीसद कार्बन डाई आक्साइड को सोखने के कारण पर्यावरणविदों ने इन्हें पृथ्वी के फेफड़े, गुर्दे और एक 'कार्बन सिंक' की संज्ञा दी है। ये दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन हैं। यहां पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं जो भाप बन कर ऊपर जाता है और बाद में बारिश के रूप में बरस जाता है। इस कारण यहां मौसम हमेशा नम रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं से निकलती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के करीब दोगुने में ये जंगल फैला हुआ है जो पचपन लाख वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण अमेरिका के कई देशों पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और गुयाना तक फैले हुए हैं। लेकिन इनका सबसे ज्यादा साठ प्रतिशत हिस्सा ब्राजील में है। अगर ये जंगल जल गए तो कार्बन डाई ऑक्साइड को सोखने का चक्र बंद हो जाएगा। जितनी जैव विविधता अमेजन में है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है जो आज तबाह हो रही है। जब ये जंगल जल जाएंगे तो आक्सीजन की जगह हमें और अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड मिलेगी और दुनियाभर में प्रदूषण बढ़ेगा। पहले ही दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तापमान बढ़ रहा है, सुखा और बाढ़ बढ़ रहे हैं। आग से अमेजन के पारिस्थकीय तंत्र को हो रहा नुकसान पूरी दुनिया की जलवायु पर बुरा असर डाल सकता है। अमेजन की आग से निपटने के लिए जी-7 समृह ने भी ब्राजील को वित्तीय मदद देने का एलान किया। लेकिन ब्राजील ने इसके लिए मना कर दिया। इसके पहले फ्रांस, फिनलैंड और आयरलैंड ने यूरोपीय संघ

से ब्राजील पर सख्ती करने को कहा। इस मुद्दे पर

अमेरिका, भारत और चीन जैसे बड़े देशों की ओर से

अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि, भारत है और प्रशासन की शिथिलता के कारण इनका और चीन दोनों ही ब्राजील के साथ ब्रिक्स के सदस्य अमेजन के जंगलों में आग सिर्फ ब्राजील की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। अगर समय रहते पूरे विश्व ने एकजूट होकर अमेजन की आग को बढ़ने से नहीं रोका तो धुआं गहराता ही जाएगा और इस काले धुएं में दुनिया के तंदरुस्त फेफड़े कमजोर और बीमार होकर काल के गाल में समा जाएंगे।

खिमयाजा बच्चों को उठाना पड़ा रहा है। कमरों की हैं। इनकी ओर से भी कुछ दबाव पड़ना चाहिए। कमी के चलते बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। प्रारंभिक शिक्षा की इन्हीं कमजोरियों और शासन तंत्र की लापरवाही के कारण हम शिक्षा की दौड़ में पिछड़े हैं और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने के अभाव के कारण शिक्षा की बदहाली का रोना रो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली के लिए अध्यापकों की पठन-पाठन के काम में उदासीनता और लापरवाही भी एक बड़ा कारण रही

• *डा. कुलदीप बालियान, कोटा,* है। शिक्षा का अधिकार कानून

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बुनियादी शिक्षा का सच

भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर हर साल अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद बच्चों में पढ़ने-लिखने का कौशल क्यों नहीं आ पा रहा हैं, इस पर गंभीरता से मंथन करने की जरुरत है। अनेक संस्थाओं ने अपनी रिपोर्टों में बुनियादी शिक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और बताया है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम इसमें बहुत पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रारंभिक शिक्षा एकदम चौपट हाल में है जहां आठवीं का छात्र गुणा-भाग तक सही तरीके से नहीं कर सकता और पांचवीं का छात्र किताब नहीं पढ़ सकता। देश में लाखों ऐसे स्कूल हैं जिनके कमरों में कबाड़ भरा पड़ा

होने के नौ साल बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल न जाकर घरों पर सफाई, पंक्चर की दुकानों, सब्जियों के ठेलों, होटलो-ढाबों, साड़ी-कालीन बिनाई, ईट भट्टों और निर्माण कार्यों में काम कर रहे हैं। इन बच्चों के मां-बाप का कहना है कि पहले पेट भरेंगे फिर स्कूल भेजेंगे। यह है हमारी वास्तविकता जिस पर मंथन की जरूरत है।

• बाल मुकुंद ओझा, जयपुर कैसे बचेंगे तालाब

हमारे देश में विभिन्न तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे- पेड़ बचाओ, स्वच्छता अभियान, जनसंख्या नियंत्रण, निदयों को बचाने का अभियान आदि। इन अभियानों के चलने से कुछ हद तक लोगों

का नजरिया बदला है और इन समस्याओं को लेकर जागरूकता भी पैदा हुई है। इन अभियानों के साथ एक अभियान तालाब बचाने का भी चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में तालाब समाप्त हो रहे हैं उससे बरसात में गिरने वाले पानी को बचाने की समस्या गंभीर होती जा रही है। देश की आजादी के समय जितने तालाब थे, आज उसके आधे भी नहीं बचे हैं। गांव-देहात में जिस तरह से तालाबों पर अवैध कब्जे कर उनको घेरा जा रहा है, उससे बरसात के पानी को जमा करना और तालाब के आसपास के घरों को डूबने से बचाना एक चुनौती बनता जा रहा है। तालाबों को बचाने के लिए हर प्रदेश की सरकार को जिले के जिलाधिकारी और संबंधित ग्राम प्रधानों को इस बारे में सख्त निर्देश जारी कर तालाबों, नालों की जांच करा कर उन्हें कब्जा मुक्त करना चाहिए।

🎐 दीपक शर्मा, मवाना (मेरठ) जरूरी है शुद्ध हवा-पानी

राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश तो दिए फिटनेस संदेश में बताया है कि बिना शारीरिक श्रम, व्यायाम, योग और खेलकृद के हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते। यह कहावत भी है कि एक स्वस्थ शरीर में ही अच्छा मस्तिष्क होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा, पानी, अन्न, सब्जी और फल बहुत जरूरी है। इसलिए पेड़-पौधे और पानी ही सभी प्राणियों के प्राण हैं जिसे हम भूले हुए हैं। पानी बिन पेड़-पौधे नहीं, इनके बिना पानी नहीं। आज अच्छी आबोहवा के कारण ही जम्मू -कश्मीर में अनेकों वृद्ध सौ या इससे भी अधिक आयु के हैं जो बिल्कुल फिट हैं। इसलिए शुद्ध हवा, पानी और अन्न के लिए व्यापक स्तर पर पेड़-पौधों का संवर्धन, संरक्षण और जल प्रबंधन जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे।

• वेद मामूरपुर, नरेला

नई दिल्ली

epaper.jansatta.com